न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
38 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	10.06.2019	24.02..2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन जाति महाजन निवासी गली नं0 4 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज प्रोडक्ट्स टोपाज होटल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक

2– मैसर्स पंकज प्रोडक्ट्स टोपाज होटल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) (iii) एवं दण्डनीय धारा 52,56 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 24.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.03.2019 को समय 12.35 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स पंकज प्रोडक्ट्स टोपाज होटल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन जाति महाजन निवासी गली नं0 4 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज प्रोडक्ट्स टोपाज होटल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **नमकीन (पंजाबी बिरयानी स्पेशल लवली ब्राण्ड)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री पंकज कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की [illegible] जिस पर विक्रेता पंकज कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर [illegible] तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे [illegible] प्रत्येक [illegible] नग मूल [illegible] सीलबंद अवस्था मे 30–30 ग्राम पैक **नमकीन** (पंजाबी बिरयानी स[illegible]ल लवली ब्राण्ड) रखे [illegible] से 30–30

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:27:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ग्राम के 68 मूल पैक का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री पंकज कुमार जैन को रू0 204/—अक्षरे दौ सौ चार रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **नमकीन (पंजाबी बिरयानी स्पेशल लवली ब्राण्ड)** खरीदशुद्वा 68 मूल पैक प्रत्येक 30—30 ग्राम पैक को ज्यो का त्यो 17—17 नग के बराबर—बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I—2141 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—2141 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. पंकज कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2019/854 दिनांक 09.04.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/765/एक्ट/2019/548 दिनांक 03.04.2019 अनुसार पंकज कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **नमकीन (पंजाबी बिरयानी स्पेशल लवली ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **नमकीन (पंजाबी बिरयानी स्पेशल लवली ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) (iii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52,56 व 58 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **नमकीन (पंजाबी बिरयानी स्पेशल लवली ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:27:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन (पंजाबी बिरयानी स्पेशल लवली ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) (iii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52,56 व 58 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन जाति महाजन निवासी गली नं0 4 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज प्रोडक्ट्स टोपाज होटल के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है तथा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जप्त शुद्वा लगभग 475 किलोग्राम **नमकीन (पंजाबी बिरयानी स्पेशल लवली ब्राण्ड)** जो बाद जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर की पाई गई है। खाघ सुरक्षा अधिकारी की निगरानी मे नियमानुसार सीज की गई **नमकीन** का निस्तारण करवाकर की गई कार्यवाही से न्यायालय हाजा को अवगत करावे। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

24.2.2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:27:43 IST
Reason: SelfAttested